सत्यमेव जयते
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme

"Better Farming by Every Farmer"

- **Enabling Quality private agricultural and allied extension services**
- **Promoting Entrepreneurship and self-employment opportunities**

Salient Features of the AC&ABC Scheme

Eligibility Criteria

- Graduate/ Post Graduate in Agriculture and Allied subjects from Universities recognized by ICAR/UGC, SAUs and of other Agencies approved by DA&FW, MoA&FW, GoI.
- Graduate in agriculture and allied subjects like Horticulture, Sericulture, Dairy, Animal Husbandry, Fisheries, Home/ Community Sciences, Biotechnology, Agricultural Engineering, Forestry, Food Technology, Food Nutrition and Dietetics etc, from SAUs/ Central Agricultural Universities/ Universities and graduates in Environmental Science, Botany, Zoology and Chemistry recognized by ICAR/ UGC.
- Degree course recognized by UGC having more than 60% of the course in Agriculture and Allied subjects.
- Diploma (with at least 50% marks)/ Post Graduate Diploma holders in Agriculture and allied subjects
- Diploma/Post-graduate Diploma courses with more than 60 percent of course content in Agriculture and allied subjects, after B.Sc. with Biological Sciences from recognized colleges and universities.
- Agricultural Intermediate (i.e. 12th standard) with at least 55% marks

Age	: 18 to 60 years
Training Period	: 45 days free residential programme
Project Cost	: Actual total project cost.
Type of Projects	: Individual or Group projects under Agriculture/Allied sectors
Margin Money	: No margin money upto ₹5 lakh. Above ₹5 lakh, 10-15% or as decided by the Banks
Rate of Interest	: As determined by Bank (Commercial Bank/Private/RRB/Cooperative Bank).
Security	: Collateral Security upto a loan amount of ₹10 lakh is waived off.
Repayment period	: 5-10 years - depends on the project.
Handholding	: Post-training up to one year.

Subsidy

- Total project cost upto ₹20 lakh (Individual) & ₹100 lakh (for a group of 5) is eligible for subsidy.
- An additional limit of ₹5 lakh for subsidy purpose is also provided for extremely successful ventures.
- Credit linked, composite and back ended subsidy with a lock in period of 3 years.
- Subsidy is linked to extension services to farmers.
- 36% for General category.
- 44% for Women, SC/ST, North Eastern & Hill States.

Project Activities: 32 Indicative Projects and any other project which provides extension services to farmers.
Linkages with ATMA: Minimum 10% of resources of ATMA to be utilized in extension activities through Non-Governmental Sector, including Agripreneurs.
Refresher Training Programmes (RTPs): Conducted for established Agripreneurs with minimum of 3 years' experience for updating their knowledge in the chosen area of activity and to promote business links and Bank linkages.

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)

Rajendranagar, Hyderabad-500 030, Telangana State, India
www.manage.gov.in / www.agriclinics.net
E-mail: acabc-manage@manage.gov.in, Helpline No. 1800 425 1556 (Toll free) / Mobile No: +91 99518 51556

सत्यमेव जयते
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

एग्रि क्लिनिकऔरएग्रिबिजिनेसकेंद्र (ऐसीएंडएबीसी) योजना

"हर किसान से बेहतर खेती"

- कृषि एवं संबद्धध विस्तार में श्रेष्ठ निजी सेवाएं उपलब्ध कराना
- उद्यमिता एवं स्व-रोजगार के अवसरों का बढ़ावा देना

एसी और एबीसी योजना की मुख्य विशेषताएं

पात्रता के मानदंड

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों और आईसीएआर/ यूजीसी और एसएयू द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कृषि एवं संबद्ध विषयों में स्नातक / स्नातकोत्तर।
- कृषि और संबद्धध विषयों जैसे बागवानी, रेशम उत्पादन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गृह/सामुदायिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि इंजीनियरिंग, वानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पोषण और आहार विज्ञान आदि में एसएयू / केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक होना चाहिए, आईसीएआर / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण विज्ञान वनस्पति विज्ञान प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान में स्नातक।
- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स जिसमें कृषि और संबद्धध विषयों में 60% से अधिक पाठ्यक्रम हों।
- डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) / कृषि और संबद्धध विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक।
- बीएससी के बाद कृषि और संबद्ध विषयों में 60 % से अधिक पाठ्यक्रम के साथ डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जैविक विज्ञान के साथ।
- कृषि इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) कम से कम 55% अंकों के साथ।

आयु	: 18 से 60 वर्ष
प्रशिक्षण अवधि	: 45 दिन का निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम
परियोजना की लागत	: परियोजना की कुल वास्तविक लागत
परियोजना के प्रकार	: कृषि एव तत्संबंधी क्षेत्रों के तहत वैयक्तिक या सामूहिक परियोजनाएं।
मार्जिन मनी	: रु.5 लाख तक कोई मार्जिन मनी नहीं है। रु.5 लाख से ऊपर 10-15% , या बैंको द्वारा यथा निर्धारित दर।
ब्याज दर	: बैंक द्वारा निर्धारित दर (कमर्शियल बैंक/ निजी आर आर बी सहकारी बैंक)।
सुरक्षा	: ₹10 लाख तक के ऋण की राशि के लिए कोई जमानत सुरक्षा नहीं है।
पुनर्भुगतान की अवधि	: 5 से 10 वर्ष, परियोजना पर निर्भर
हैन्ड-होल्डिंग	: प्रशिक्षण के उपरांत एक वर्ष

राहत (सब्सिडी)

- कुल परियोजना राशी रु.20 लाख तक (वैयक्तिक) और रु.1.00 लाख (5 सदस्यों का समूह) राहत पाने के लिए योग्य है।
- अत्यंत सफल उदयमों के लिए, रु.5 लाख की राहत की अतिरिक्त सीमा प्रदान की जाती है।
- 3 वर्ष की अवधि की लॉक इन अवधि सहित क्रेडिट लिंक्ड, कंपोसीट एण्ड बैकएंडेड सब्सिडी।
- किसानों को दी जानेवाली विस्तार सेवाओं के साथ सबसिडी को जोड़ा गया है।
- सामान्य श्रेणी हेतु 36 %।
- महिलाओं, अ.जा/अ.ज.जा. उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों के लिए 44 %।

परियोजना गतिविधियां : 32 इंडिकेटिव प्रोजेक्ट्स और किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने वाली कोई भी परियोजना।

आत्मा (ATMA) के साथ जुड़ाव : आत्मा का कम से कम 10 % संसाधनों का उपयोग गैर-सरकारी क्षेत्री और कृषि विभाग द्वारा विस्तार गतिविधियों के लिए किया जाएगा है।

पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी): न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव वाले स्थापित कृषि उद्यमियों को उनके चयनित क्षेत्र में अद्यतन जानकारी प्रदान करने और व्यापार लिंक व बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद 500030, तेलंगाना, भारत.

www.manage.gov.in / www.agriclinics.net

E-mail: acabc-manage@manage.gov.in, Helpline No. 1800 425 1556 (Toll free) / Mobile No: +91 99518 51556